FORM-I

(for linear project)

Office of the District Collector

***

No. 1021

Date 18/02/2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environmental and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.7901 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORK DEPARTMENT** (name of user agency) for **CONSTRUCTION OF C.C. ROAD** (purpose for diversion of forest land) in **Jaipur** district falls within jurisdication of **(1) DEVIPURA VILLAGE TRIVENI ROAD TO BRAHAMANI MATA TEMPLE (0.5004 hectares) IN SHAHAPURA TEHSIL.**

It is further certified that :

(j) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.5004 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 2 respectively.

(k) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and The Sub-Division and District Level Committee have given their consent to it; (The consent of the concerned Gram Sabhas is not required as per MoEF GOL latter No.11.09.08-FC(pt.) dated 05.02.2013 & 05.01.2013)

(l) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

(जगरूप सिंह यादव)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

जयपुर

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

क्रमांक/एफआरए/2018/1007 दिनांक :- 13/08/18

श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् जयपुर।

विषय :- नवीन सड़क योजनान्तर्गत त्रिवेणी सड़क से ब्रहमाणी माता मन्दिर सी.सी. सडक निर्माण कार्य हेतु अनुसूचित जनजिाति और अन्यपरम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 अन्तर्गत प्रमाण–पत्र बाबत्

महोदय्

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त सड़क के निर्माण बाबत् ग्राम पंचायत देवीपुरा ने दिनांक 17.08.2015 को ग्राम सभा आयोजित कर उनके प्रस्ताव संख्या 166 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा अवगत करवाया है कि उक्त सड़क के निर्माण में वन अधिनियम के अनुसार परीक्षण किया गया जिसमें प्रस्तावित वन भूमि से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नही किया गया है, तथा वर्तमान में किसी भी प्रकार का आवास नही है एवं न कोई आवासीय क्षेत्र सामान्य/अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत निवासी क्षेत्र प्रभावित नही करता हैं।

उक्त प्रस्तावों के क्रम में दिनांक 10.07.2018 को उपखण्ड़ स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया (कार्यवाही का विवरण संलग्न) इसमें उपस्थित सभी सदस्यों ने वनाधिकार अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 में विचार विमर्श किया गया एवं अपनी सहमति प्रदान की, कि नवीन सड़क योजनान्तर्गत त्रिवेणी सड़क से ब्रहमाणी माता मन्दिर सी.सी. सडक निर्माण में प्रस्तावित वन भूमि (0.5004 है0) से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नही किया गया है, तथा वर्तमान में किसी भी प्रकार का आवास नही है एवं न कोई आवासीय क्षेत्र सामान्य/अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत निवासी क्षेत्र प्रभावित नही करता हैं।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के प्रमाण–पत्र देने हेतु जिला स्तर कमेटी में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाना है तथा इस कमेटी में आप सदस्य सचिव है।

अतः आपसे निवेदन है कि बैठक बुलाकर प्रमाण–पत्र (FRA) जिला कलेक्टर महोदय् द्वारा जारी करवाने की कृपा करावें ताकि सड़क निर्माण इस वित्तीय वर्ष में समय से पूर्ण किया जा सकें।

(रवि विजय)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर)

S.E. Latter 2

ग्राम-सभा

आज दिनांक 17-8-2015 को ग्राम पंचायत भवन देवीपुरा की ग्राम-सभा का आयोजन श्रीमान विकास अधिकारी जी के आदेशानुसार अटल सेवा केन्द्र पर आयोजित की गयी है। श्रीमती चमेली देवी सरपंच की अध्यक्षता में किया गया।

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत देवीपुरा
पं. स. शाहपुरा (जयपुर) राज.

मु. देवीपुरा मुकेश शर्मा
PEO
PS शाह.

चमेली देवी
सरपंच
ग्राम पंचायत देवीपुरा
पं. स. शाहपुरा (जयपुर)

रवीन्द्र कुमार शर्मा
G.R.S. देवीपुरा

गोकुल शर्मा

सुरज्ञान

प्रकाश

शीतल देवी

सुषमा वर्मा

Tilesh Kumar

तारा चन्द

शालीग्राम

राजेश कुमार

शोभा देवी

विनोद कुमार

पूनम वर्मा
ANM
SC भानीपुरा

शारदा देवी

शंकर लाल गुर्जर

विक्रम गुर्जर

सावित्री देवी

चमेली देवी
सरपंच
ग्राम पंचायत देवीपुरा
पं. स. शाहपुरा (जयपुर) राज.

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत देवीपुरा
पं. स. शाहपुरा (जयपुर)

सरपंच
ग्राम पंचायत देवीपुरा

प्र.प्र. भूमि विकास कार्य आबादी भूमि देवीपुरा देवीपुरा।

151 भूमि विकास कार्य श्रवण स्वामी स्वामीपुरा

152 भूमि विकास कार्य सीताराम स्वामी स्वामीपुरा।

153 भूमि विकास कार्य गोकुल चन्द स्वामी स्वामीपुरा

154. भूमि विकास कार्य गणपत लाल शर्मा स्वामीपुरा

155. भूमि विकास कार्य मालीराम गुर्जर पी० नारायण

156. भूमि विकास कार्य श्रवण पोषवाल देवीपुरा

157. भूमि विकास कार्य बाबूलाल स्वामी स्वामीपुरा

158. भूमि विकास कार्य शम्भु मूलचन्द कालूराम स्वामीपुरा

159. ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य बिशनगढ़ लिंक रोड से

160. मुरारी सरपंच की ढाणी की ओर बिचपुडी

ग्रेवल सड़क निर्माण चतरपुरा रोड से सीताराम

161. की ढाणी तक चतरपुरा।

ग्रेवल सड़क निर्माण मन्दी मोरी से धर्मा के

162. मकान तक स्वामीपुरा।

ग्रेवल सड़क निर्माण धर्मा के मकान से रूडा

163. रावत की ढाणी की ओर पी० नारायण

ग्रेवल सड़क निर्माण जगदीश दादू की दुकान

164. से बैध जी की कोठी की ओर बिचपुडी

मॉडल तालाब निर्माण कार्य स्वामीपुरा स्वामीपुर

165.

प्र०सं० 166.

धार्मिक सड़क योजनान्तर्गत प्रस्तावित त्रिवेणी सड़क से ब्राह्मणी माता मंदिर सड़क निर्माण हेतु 0.562 हैक्टे० वन भूमि है जोकि 1 (एक है०) से कम भूमि श्रेणी में आती है। साथ ही इस सड़क निर्माण दौरान हेतु कोई पेड़ नहीं काटा जायेगा जिससे यह सड़क 75 पेड़ों से कम कटाई की श्रेणी में आती है। अत: सड़क निर्माण हेतु N.O.C की अनुशंषा की जाती है। यह प्रस्ताव उपस्थित कोरम द्वारा सर्वसम्मति निर्णय किया जिसको उपस्थित कोरम द्वारा सर्वसम्मति से [illegible] किया गया।

सचिव
ग्राम पंचायत देवीपुरा
पं. सं. शाहपुरा (जयपुर)

सरपंच
ग्राम पंचायत देवीपुरा
पं. स. शाहपुरा (जयपुर)

[illegible]
सरपंच
ग्राम पंचायत देवीपुरा
पं. स. शाहपुरा (जयपुर)

कार्यालय : ग्राम पंचायत देवीपुरा

पंचायत समिति शाहपुरा (जयपुर)

प्रेषक :-	प्रेषिति :-
सरपंच श्रीमती धोली देवी ग्राम पंचायत देवीपुरा पंचायत समिति – शाहपुरा, जयपुर, राज.	श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता, सा॰ नि॰ वि॰ / जिलाखण्ड शाहपुरा

क्रमांक : 31/18 दिनांक 20/6/2018

विषय:- वनाधिकार अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव त्रिवेणी सड़क से ब्रह्माणी माता मंदिर सी॰ सी॰ रोड़ (VR) ग्राम सभा बैठक के प्रस्ताव बाबत,

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 17-8-2015 को ग्राम सभा बैठक के प्रस्ताव संख्या 166 के द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत उपरोक्त सड़क निर्माण का वनाधिकार अधिनियम के अनुसार परीक्षण किया गया जिसमें प्रस्तावित वन भूमि त्रिवेणी सड़क से ब्रह्माणी माता (देवीपुरा) के मध्य पडने वाली वन भूमि में से सड़क गुजरने वाली सड़क के कारण अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है तथा वर्तमान में किसी भी प्रकार का आवास नहीं है एवं न ही कोई आवासीय क्षेत्र सामान्य / अनुसूचित जन जाति एवं परम्परागत निवासी क्षेत्र प्रभावित नहीं करते है।

इस प्रस्ताव की प्रति श्रीमान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न प्रस्ताव प्रतिलिपि

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत देवीपुरा
पं सं शाहपुरा (जयपुर)

धोली देवी
सरपंच
ग्राम पंचायत देवीपुरा
पं. स. शाहपुरा (जयपुर) राज.